"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 27, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-14/2013/1/एक.— छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम, के नियम चार के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अपने प्रत्येक मंत्री के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और/या विभाग की कार्य-सूची के विषय सौंपते हैं :-

स. क्र. (1)	मंत्री का नाम (2)	सौंपे गये विभाग और/या विभाग की कार्य-सूची के विषय (3)
1.	डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन, खनिज साधन, ऊर्जा, वाणिज्य एवं उद्योग, नगरीय प्रशासन, विधि एवं विधायी कार्य एवं खेल विभाग, वन, सार्वजनिक उपक्रम, जन शिकायत निवारण एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो.
2.	श्री अजय चन्द्राकर, मंत्री	पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संस्कृति, पर्यटन एवं संसदीय कार्य.
3.	श्री अमर अग्रवाल, मंत्री	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर एवं श्रम
4.	श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री	कृषि, पशुधन विकास, मछली पालन एवं जल संसाधन, आयकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व.
5.	श्री केदारनाथ कश्यप, मंत्री	आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, स्कूल शिक्षा.

(1)	(2)	(3)
6.	श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, मंत्री	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी.
7.	श्री पुन्नुलाल मोहले, मंत्री	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामोद्योग, सहकारिता एवं बीस सूत्रीय.
8.	श्री राजेश मूणत, मंत्री	लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण, परिवहन
9.	श्री रामसेवक पैकरा, मंत्री	गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
10.	श्रीमती रमशिला साहू, मंत्री	महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.